

मुद्दा यह नहीं है कि, कोविड के इन्तजामात में कुछ अरबों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ कुछ चहेतों को ऊंची दरों पर काम देने के लिये...(2)

मुद्दा यह है कि, हजारों की संख्या में मक्खियों की तरह कोविड के मरीज मर रहे थे, उनके दाहसंस्कार की, दफन करने की व्यवस्था नही हो पा रही थी, और सरकार का ध्यान इस पर केन्द्रीत था कि कैसे चहेतों को और पैसा कमाने का मौका दिया जा सके



अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में देखा जा सकता है कि कोविड महामारी के दौरान बनाये गये आई. सी. यू. में आज अन्य वाडों का संचालन किया जा रहा है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार यहां 70 बैड का आई. सी. यू. बनाया जाना था, जिसका कुल क्षेत्र 10500 वर्गफुट होना चाहिये था, लेकिन, उक्त आई. सी. यू. का क्षेत्र करीब तीन हजार वर्गफुट का ही नजर आ रहा है।

- यादवेन्द्र शर्मा-
जयपुर, 20 अप्रेल। पिछली गहलोट सरकार के कार्यकाल में कोरोना महामारी के दौरान एस.डी.आर.एफ. फंड का गैर कानूनी उपयोग करते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में जिन आई.सी.यू. और पी.आई.सी.यू. के निर्माण व टर्नकी प्रोजेक्ट शुरू करने के आदेश मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये थे उन निर्माण कार्य का अनुबंधन केवल तीन-चार चुनिंदा कंपनियों को सौंपा था। जैसा की विदित है, कि राज्य सरकार केवल अपने ही बजट से निवादा के रूप में यह

निर्माण करवा सकती थी। परंतु, कोविड काल में बने इन आई.सी.यू. के निर्माण कार्यों की आज की वस्तुस्थिति क्या है, इसके विषय में राष्ट्रदूत ने अलग-अलग अस्पतालों में जाकर वहां पृष्ठताछ की और फोटो ली। हैरानी की बात है कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में आई.सी.यू. बनाने का प्रस्ताव न तो अस्पताल के प्रशासन ने दिया था और ना ही उससे जुड़े मेडिकल कॉलेज ने। इन सभी निर्माण कार्यों के आदेश जयपुर से चिकित्सा विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये। इन निर्माण कार्यों में अधिकतर का

उपयोग अब आई.सी.यू. से बदलकर वाई में कर दिया गया है या अस्पताल में अन्य किसी विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ गिनी-चुनी जगहों पर आई.सी.यू. कार्यरत हैं लेकिन इनमें पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और ना ही पूरे मापदंड अपनाये गये हैं। इन सभी अस्पतालों में बनाये गये आई.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. और एन.आई.सी.यू. की तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है कि “इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स” (आई.पी.एच.एस.), जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत बनी एक संस्था है, द्वारा तय किये गये

- जब शीर्षस्थ नेतृत्व में मरीजों के प्रति संवेदनशीलता नहीं थी बल्कि बेरहमी थी, तो कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी से कैसे उम्मीद की जा सकती थी, कि वे आई.सी.यू. बनाने में उन सभी कायदे-कानून का अनुपालन करते, जो इस वजह से बनाये गये थे कि संक्रामक रोग ना फैले।
- छोटे-छोटे नए आई.सी.यू. में मरीजों के बैड कम जगह की वजह से इस तरह से सटे हुए थे कि, कोविड ही नहीं, बल्कि कोई संक्रमण से फैलने वाली बीमारी आसानी से फैले।

मापदंडों की पालना नहीं की गई है। इन मापदंडों के अनुसार, आई.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. और एन.आई.सी.यू. में 150 वर्गफुट के क्षेत्र में केवल एक ही मरीज का बैड होना चाहिए और स्वास्थ्य कर्मियों, जैसे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिये 150 फीट का सैटबैक क्षेत्र भी आवश्यक है।

उदाहरण के लिये, अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि कोरोना काल के समय अजमेर शहर के तीन अस्पतालों, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल आदर्श नगर व जनाना अस्पताल में 500 नए फेब्रिकेटेड आई.सी.यू. पंत्तलों का बॉर्ड बनाया गया जिसके लिए फंड (संसाधन) राज्य सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराए गए। हालांकि प्राप्त दस्तावेजों से जाहिर है कि 70 आई.सी.यू. व एन.आई.सी.यू. बैड के लिये राज्य सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. फंड से 1132 लाख



चित्र में देखा जा सकता है कि कोटा में भी कोरोना काल में बनाये गये आई. सी. यू. , पी.आई. सी. यू. में भी 150 वर्गफुट के मापदंडों की पालना नहीं की गई है।

रुपये दिये गये। अरविंद खरे ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल द्वारा इसके लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं भिजवाया गया। जैसे-जैसे संसाधनों की आवश्यकता हुई वैसे-वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व अन्य सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गईं। उन्होंने बताया कि अजमेर में मामाशाह द्वारा किसी भी आई.सी.यू. वाई का निर्माण नहीं कराया गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जरूर विधायकों व अन्य मामाशाहों के द्वारा उपलब्ध कराए गए। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि, कोरोना के समय जो थे उन वाडों में वर्तमान समय में मेडिसिन वाई व अन्य वाड संचालित हो रहे हैं।

इसी प्रकार, कोटा में देखा गया कि कोविड काल के दौरान कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर कार्य किए गए थे। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में

कन्वर्ट कर दिया था। इसके अलावा एक 200 बेड का आइसोलेशन वाई भी बनाया गया था। हालांकि दस्तावेजों के अनुसार गहलोट सरकार के चिकित्सा और शिक्षा विभाग ने एस.डी.आर.एफ. फंड के उपयोग से 50 बैड के रुपये आवंटित किये थे और 20 बिस्तरों के एन.आई.सी.यू./ पी.आई.सी.यू. के निर्माण के लिये 1260 लाख रुपये आवंटित किये गये थे। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की कि आई.सी.यू. के लिये प्रस्ताव मेडिकल कॉलेज की ओर से नहीं भेजे गये थे, जयपुर से ही चिकित्सा शिक्षा

विभाग द्वारा दिये गये थे। **कोटा में जे.के.लोन अस्पताल** में 5 जुलाई 2020 को बिजली के पैनल तत्कालीन राज्य सरकार के निर्देश पर शुरू किया गया था, उसके बाद कोविड आ गया तो कार्य तेजी से किया गया था। जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा बताते हैं कि यहां पर 20 बैड का एक एन.आई.सी.यू. वाई कोविड के दौरान तैयार किया गया था जो वर्तमान में भी रेगुलर काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा कोटा जे.के. लोन अस्पताल में 80 बैड के पी.आई.सी.यू. वाई तैयार

किए गए थे। इन पी.आई.सी.यू. वाई का निर्माण कोटा जेके लोन अस्पताल में बच्चों की लगातार मौत के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के निर्देश पर शुरू किया गया था, उसके बाद कोविड आ गया तो कार्य तेजी से किया गया था। जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा बताती हैं कि इन वाडों के निर्माण से अस्पताल और मरीजों को काफी सहूलियत मिली है। हालांकि इन 90 बैड के आई.सी.यू./पी.आई.सी.यू. में किस विभाग ने कितना फंड दिया है, इसकी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की उनके घर पर हत्या

बेंगलुरु, 20 अप्रैल। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आ रही है। बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओमप्रकाश की हत्या कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि उनकी पत्नी ने ही चाकू धोपकर उनकी हत्या की है। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। ज्ञातव्य है कि बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट स्थित

- पुलिस को संदेह है कि उनकी पत्नी ने हत्या की है।

उनके घर में उनका शव बरामद हुआ है। घटना के समय घर में उनकी पत्नी और बेटी ही मौजूद थीं, जो कि घर के लिविंग रूम में थीं। पत्नी ने ही कॉल करके पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमृतपाल अभी असम की जेल में रहेगा

अमृतसर, 20 अप्रैल। खड्ग साहिब से सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। एनएसए बढ़ाए जाने को लेकर एक दस्तावेज सामने आया है। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अमृतपाल सिंह अब एक साल और असम की डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा।

- अमृत पाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि सांसद अमृत पाल को लोगों की आवाज उठाने से रोका जा रहा है।

अमृतपाल सिंह ने 18 अप्रैल को इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। नया एनएसए 23 अप्रैल से लागू होगा। अगर इसकी अवधि तीसरी बार बढ़ाई जाती है तो परिवार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए नाराजगी जताते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार कांग्रेस के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है - खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे नेताओं पर 11 साल में अनगिनत रेड हुए, पर कुछ नहीं निकला

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार जिस नेशनल हेरल्ड मामले में झूठे मुकदमे लगाकर कांग्रेस नेतृत्व को उलझा रही है उस अखबार को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश की आजादी की लड़ाई के लिए शुरू किया था। खरगे ने रविवार को टवीट कर कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेरल्ड की शुरुआत की थी। इसके अलावा, नवजीवन अखबार और कौमी आवाज भी शुरू किया गया था। इन अखबारों को शुरू करने का मकसद देश को आजाद कराना, देश की जनता को जागरूक करना

- खड़गे ने कहा, दूसरे ताकतवर विपक्षी नेताओं पर इसी तरह फर्जी मामले चलाये जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, उसका केस बंद कर दिया जाता है।

और लोगों की आवाज अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाने का था।

उन्होंने कहा, आरएसएस व भाजपा के लोग षड्यंत्र करने में माहिर हैं। इन दिनों उन्होंने कांग्रेस को झूठे मुकदमों में उलझाने की फिर से कोशिश की है। जैसे ही कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में खत्म हुआ, एक दिन बाद नेशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया। दो दिन बाद कांग्रेस नेता सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी का नाम आरोप पत्र में डाल दिया। हमारे नेताओं के ऊपर पिछले 11 सालों में अनगिनत रेड हुए। निकला कुछ नहीं, लेकिन बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा “हाल में नेशनल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यू. पी. विधान सभा चुनाव सपा-कांग्रेस साथ लड़ेंगे

प्रयागराज, 20 अप्रैल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रविवार को प्रयागराज में अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी ‘ईंडिया’ गठबंधन जारी रहेगा। इसका मतलब कि यूपी में सपा और कांग्रेस का साथ बना रहेगा। ज्ञातव्य

- रविवार को प्रयागराज में अखिलेश यादव ने घोषणा की

है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होना है। इस चुनाव में अभी काफी समय बाकी है। लेकिन रविवार को यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘जनेऊ उतारो, तभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हो’

विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने से रोकने वाले बीदर कॉलेज के प्राचार्य व स्टाफ सदस्य निलम्बित

बीदर, 20 अप्रैल। कर्नाटक में बीदर के साई स्मूर्ति प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में जनेऊ विवाद में दो अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। इन अधिकारियों पर एक विद्यार्थी ने आरोप लगाया था कि उसे कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) में बैठने नहीं दिया गया था। विद्यार्थी ने आरोप लगाया था कि जनेऊ उतारने से इनकार करने पर अधिकारियों ने उसे सीईटी की परीक्षा नहीं देने दी थी। गौरतलब है कि जनेऊ हिंदू पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से पहना जाने वाला पवित्र धागा है। घटना के अनुसार, छात्र सुचित्रत कुलकर्णी को

- छात्र सुचित्रत कुलकर्णी का 17 अप्रैल को अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में गणित का पेपर था। कुलकर्णी के लगातार अनुरोध के बाद भी उसे परीक्षा नहीं देने दी गयी।

17 अप्रैल को अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस

टेस्ट (यूजीसीईटी) के गणित के पेपर में शामिल होना था। छात्र के अनुसार निरीक्षकों ने उसे परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया, तथा जनेऊ उतारने या काटने को कहा। सुचित्रत ने संवाददाताओं से कहा, “मैंने उनसे 45 मिनट तक विनती की।” बार-बार अनुरोध के बावजूद उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। छात्र ने बताया कि निरीक्षकों ने कहा कि वो तभी परीक्षा दे सकता है जब वो अपना जनेऊ उतार दे। मैं चाहता हूँ कि सरकार या तो मुझे फिर से परीक्षा देने की अनुमति दे या मुझे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने टाऊन हॉल, जलेब चौक-पुराना पुलिस मुख्यालय को सरकारी सम्पत्ति माना

करीब ढाई हजार करोड़ रुपये की सम्पत्तियों पर जयपुर के पूर्व राजपरिवार के दावों को खारिज किया

जयपुर, 20 अप्रैल। हाईकोर्ट ने जयपुर के पुराने विधानसभा भवन (टाऊन हॉल), पुराना पुलिस मुख्यालय व पुराना होमगार्ड महानिदेशालय तथा जलेब चौक स्थित पुराने लेखाकार कार्यालय परिसर की करीब ढाई हजार करोड़ रुपए की सम्पत्ति को सरकारी सम्पत्ति मानते हुए इन पर पूर्व राजपरिवार के दावों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर कोई सिविल न्यायालय सुनवाई ही नहीं कर सकता।

न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार की चार रिवीजन याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ये संपत्तियां वर्ष 1949 में जयपुर रियासत और भारत सरकार के बीच हुए समझौते का हिस्सा हैं, जिनका उपयोग सरकारी प्रयोजन के लिए किया जाना था और इस संदर्भ में कोई भी सिविल वाद संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत न्यायालय की समीक्षा से बाहर है।

- हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अंतर्गत कोवन्ट में किये गये समझौते से उत्पन्न विवाद को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार को इनका उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिये करना चाहिये, पर इसका मतलब यह नहीं कि पूर्व राजपरिवार इनका पुनः अधिकार या मुआवजा मांग सकता है।

जयपुर के पूर्व राजपरिवार व राज्य सरकार के बीच वर्षों से चल रहे चर्चित संपत्ति विवाद पर यह फैसला सुनाया गया। यह सभी सम्पत्तियां वर्तमान में सरकार के कब्जे में हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास ने कोर्ट से कहा कि सरकार को यह सम्पत्ति कोवन्ट से मिली है, न कि लाइसेंस के जरिए। संविधान के अनुसार इन सम्पत्तियों के स्वामित्व को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोवन्ट में टाऊन हॉल प्रशासनिक कार्य के लिए सरकार को दिया, न कि सिर्फ

विधानसभा के लिए। कोवन्ट के समय यहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी। सरकार इनका कोई भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। इन चार याचिकाओं में सिटी पैलेस स्थित महाराजा सवाई मानसिंह-द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट, पूर्व राजपरिवार की सदस्य पद्मिनी देवी, सांसद दियाकुमारी और पद्मनाभ सिंह पक्षकार थे। पूर्व राजपरिवार ओर से दावों में शहर की अधीनस्थ अदालत से आग्रह किया गया था कि चारों सम्पत्तियों पर पुनः दिलाया जाए और इनका

मुआवजा दिलाया जाए। दावे में कहा गया था कि यह सम्पत्तियां सरकार को उसके उपयोग के लिए लाइसेंस पर दी गई थीं, जो सरकार के उपयोग के लिए दी गई थीं और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सरकार को ही दी गई। जिस कार्य के लिए यह सम्पत्तियां दी गई थीं, अब सरकार को उन कार्यों के लिए इनकी जरूरत नहीं रही है। उद्देश्य पूरा होने के कारण अब इन्हें वापस दिलाया जाए। सरकार ने एडिजी कोर्ट में लिखित दावे को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि संविधान के अंतर्गत कोवन्ट में किए गए समझौते या संधि से उत्पन्न विवाद को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार को इनका उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूर्व राजपरिवार इनका पुनः अधिकार या मुआवजा मांग सकता है। यह संपत्तियां राज्य को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

AYURVEDIC

KAYAM®

CHURNA

कायम चूर्ण

कायम टेबलेट

कायम ग्रैन्यूल्स

🌿 भावनगर वाले सेठ ब्रदर्स का उत्पादन

UIN:GUJARAT/0003/2025